#### ( TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1 )

#### No. F.9-46/2004-U.3

Government of India
Ministry of Human Resource Development
(Department of Higher Education)
ICR Division

Shastri Bhawan, New Delhi-1, Dated the 16 1/2 December, 2019

#### **NOTIFICATION**

**Whereas**, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

- 2. **And whereas,** in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No. 9-46/2004-U.3 dated 17<sup>th</sup> January, 2007, on the advice of UGC, had declared Sumandeep Vidyapeeth, Village Piparia, Taluka Waghodia, District Vadodara (Gujarat) consisting of the following four Institutions as an Institution Deemed to be University under Section 3 of the UGC Act, 1956 subject to a review after five years:
  - i. K. M. shah Dental College and Hospital, Village Piparia, Taluka Waghodia, District Vadodara (Gujarat),
  - ii. K. J. Pandya College of Physiotherapy, Village Piparia, Taluka Waghodia, District Vadodara (Gujarat),
- iii. S.B.K.S. Medical Institute and Research Centre, Village Piparia, Taluka Waghodia, District Vadodara (Gujarat), and
- iv. Sumandeep Nursing College, Village Piparia, Taluka Waghodia, District Vadodara (Gujarat).
- 3. **And whereas**, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of the Sumandeep Vidyapeeth, Vadodara (Gujarat). The Committee, in its report, gave the **very good** grade to Sumandeep Vidyapeeth, Vadodara (Gujarat) on academic performance of the Institution and recommended for continuation of their Deemed to be University status. The report of the UGC Committee was considered by the Commission in its 544<sup>th</sup> meeting (Item No.2.12) held on 16.10.2019 in which the following resolution was passed:

"The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for academic performance will not be granted continuation / extension."

- 4. **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of UGC, hereby extends the Deemed to be University status of Sumandeep Vidyapeeth, Vadodara (Gujarat) from 17.01.2012 onwards.
- 5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Sumandeep Vidyapeeth, Vadodara (Gujarat).

(V.L.V.S.S. Subba Rao) Senior Economic Advisor

Tel: 011-23073687

The Manager, Government of India Press, Minto Road, New Delhi – 110002.

### **Copy forwarded to:-**

- 1. The Secretary, University Grants Commission, New Delhi.
- 2. The Vice-Chancellor, Sumandeep Vidyapeeth, Village Piparia, Taluka Waghodia, District Vadodara (Gujarat).
- 3. The Secretary, Medical Council of India, Pocket 14, Sector 8, Dwarka Phase 1, New Delhi 110077.
- 4. The Secretary, Indian Nursing Council, Combined Council Building, Kotla Road, Temple Lane, New Delhi.
- 5. The Secretary, Dental Council of India (DCI), Aiwan-E-Galib Marg, Kotla Road, Temple Lane, New Delhi-110002.
- 6. The Principal Secretary (Higher & Technical Education), Government of Gujarat, 5th Block, 8th Floor, Sachivalaya, Gandhinagar. Gujarat.
- 7. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi.
- 8. The Secretary General, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-2.
- 9. Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi. It is requested that CMIS Unit may kindly be instructed to display the Notification on the website (Home site) of the Department.

10. Guard file / Notification file.

(V.L.V.S.S. Subba Rao) Senior Economic Advisor

Tel: 011-23073687

# (भारत के राजपत्र के भाग-।, खंड-1 में प्रकाशनार्थ) सं.एफ. 9-46/2004-यू.3

भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग आईसीआर प्रभाग

> शास्त्री भवन, नई दिल्ली-01, दिनांक:  $| \mathcal{E} |$  दिसम्बर, 2019

## <u>अधिसूचना</u>

जबिक, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

- 2. और जबिक, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 17 जनवरी, 2007 की अधिसूचना सं. 9-46/2004-यू.3 के माध्यम से निम्निलिखित चार संस्थानों सिहत सुमनदीप विद्यापीठ, ग्राम पिपरिया, तालुका वाघोडिया, जिला वडोदरा (गुजरात) को समविश्वविद्यालय घोषित किया था जो यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत पांच वर्षों की समीक्षा के अध्यधीन होगा:
- i. के. एम. शाह डेंटल कॉलेज और हास्पीटल, ग्राम पिपरिया, तालुका वाघोडिया, जिला वडोदरा (गुजरात)
- ii. के.जे. पांन्डया कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, ग्राम पिपरिया, तालुका वाघोडिया, जिला वडोदरा (गुजरात)
- iii. एस.बी.के.एस. चिकित्सा संस्थान और अनुसंधान केन्द्र, ग्राम पिपरिया, तालुका वाघोडिया, जिला वडोदरा (गुजरात)
- iv. सुमनदीप नर्सिंग कॉलेज, ग्राम पिपरिया, तालुका वाघोडिया, जिला वडोदरा (गुजरात)
- 3. और जबिक, यूजीसी ने सुमनदीप विद्यापीठ, वडोदरा (गुजरात) के निष्पादन और शैक्षणिक परिणामों का निरीक्षण करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुमनदीप विद्यापीठ, वडोदरा (गुजरात) को शैक्षणिक प्रदर्शन में बहुत अच्छी रेटिंग दी थी और विश्वविद्यालय के समवत दर्जे को बनाए रखने की अनुशंसा की थी। यूजीसी समिति की रिपोर्ट पर 16.10.2019 को आयोजित आयोग की 544वीं बैठक (मद संख्या 2.12) में विचार किया गया जिसमें निम्नलिखित संकल्प पारित किए गए:

"आयोग ने यूजीसी की विशेषज्ञ स्थायी सिमिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया और उन संस्थाओं जिन्हें विशेषज्ञ सिमिति द्वारा शैक्षणिक कार्यनिष्पादन के लिए उत्कृष्ट, बहुत अच्छा एवं अच्छा" रेटिंग प्रदान की गई है, का समविश्वविद्यालय का दर्जा जारी रखने/बढ़ाने का निर्णय किया है। तथापि, वे समविश्वविद्यालय जिन्हें शैक्षणिक कार्यनिष्पादन हेतु खराब और औसत रेटिंग प्रदान की गई है, उन्हें विस्तार/निरंतरता प्रदान नहीं की जाएगी।"

- 4. अब, इसिलए, केन्द्र सरकार, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी के परामर्श के पश्चात सुमनदीप विद्यापीठ, वडोदरा (गुजरात) के समविश्वविद्यालय के दर्जे का 17.01.2012 से आगे विस्तार करती है।
- 5. सुमनदीप विद्यापीठ, वडोदरा (गुजरात) द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना (अधिसूचनाओं) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले नियमों/विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।

स्हिल्ले । ४.१४ (वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बा राव) वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार टेलि. 011-23073687

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोइ, नई दिल्ली-110002

## प्रतिलिपि अग्रेषितः

- 1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
- 2. कुलपति, सुमनदीप विद्यापीठ, ग्राम पिपरिया, तालुका वाघोडिया, जिला वडोदरा (गुजरात)
- 3. सचिव, भारतीय चिकित्सा परिषद, पाकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका फेज-1, नई दिल्ली- 110077
- 4. सचिव (भारतीय नर्सिंग परिषद), संयुक्त परिषद भवन, कोटला रोइ, मंदिर लेन नई दिल्ली
- 5. सचिव भारतीय डेटल परिषद डीसीआई, ऐवान-ए-गालिब मार्ग, कोटला रोइ, मंदिर लेन नई दिल्ली-110002
- 6. प्रधान सचिव (उच्चतर एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा), गुजरात सरकार, 5वां ब्लॉक, 8वां तल, सचिवालय गांधीनगर, ग्जरात
- 7. पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
- 8. महा-सचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002
- 9. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। अनुरोध है कि सीएमआईएस एकक इसे विभाग की वेसाइट (होम साइट) पर प्रदर्शित करें।
- 10. गार्ड फाइल/अधिसूचना फाइल।

सुब्बा स्रि. (वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बा राव) वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार टेलि. 011-23073687

. 34 .